अनुदान संख्या 65 – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 65–MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	568,65,00		568,67,00	428,99,73	–139,67,27
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					135,80,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			64,25,00	56,15,00	–8,10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7,20,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1731.00	1411.00	1322.01	–88.99
पु.	R.	–320.00			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6280.00	6.22	. .	–6.22
पु.	R.	–6273.78			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2810" अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	Major Head "2810" Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	46999.00			
पू.	S.	2.00	40249.78	40075.12	–174.66
पु.	R.	–6751.22			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1490.00	1600.00	1491.65	–108.35
पु.	R.	110.00			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	355.00	20.00	10.95	–9.05
पु.	R.	–335.00			

(I) 8598.00 लाख रु. का प्रावधान बाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7830.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "सौर - फोटोवोल्टीय - निदर्शन और प्रौद्योगिकी" - 450.00 लाख रु.;

(ख) "अन्य (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) - अन्य ऊर्जा स्रोत - लघु जल विद्युत विकास" - 2000.00 लाख रु.; और

(I) Provision of Rs.8598.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty two heads; of these Rs.7830.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Solar – Photovoltaic - Demonstration and Technology" - Rs.450.00 lakhs;

(b) "Others (Non-Conventional Energy Sources) - Other Sources of Energy - Small Hydro Power Development" - Rs.2000.00 lakhs; and

(ग) ''अन्य (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) - अन्य अनुदान - ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम'' - 3480.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2810'' -

(क) ''जैव - ऊर्जा - बायोमास - राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मंडल'' - 150.00 लाख रु. परियोजना क्रियाकलापों के समाप्त होने के कारण थे।

(ख) ''अन्य - अन्य व्यय'' -

(i) ''राज्यों को सहायता'' - 300.00 लाख रु.; और

(ii) ''उद्योग को सहायता'' - 1450.00 लाख रु.।

उपुर्यक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''सचिवालय - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय'' - 303.13 लाख रु. की बचत (1481.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''अन्य कार्यालय - क्षेत्रीय कार्यालय'' - 105.86 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा उपचार दावों और कार्यालय व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष ''2810'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(c) "Others (Non-Conventional Energy Sources) - Other Grants - Village Electrification Programme" - Rs.3480.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "2810" –

(a) "Bio-Energy - Biomass – National Bio - Energy Board" – Rs.150.00 lakhs - due to completion of project activities.

(b) "Others- Other Expenditure"–

(i) "Support to States" - Rs.300.00 lakhs; and

(ii) "Support to Industry" - Rs.1450.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of suitable proposals.

(II) Under Major Head "3451" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat- Ministry of New and Renewable Energy" - saving of Rs.303.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1481.00 lakhs); and

(B) "Other Offices-Regional Offices" - saving of Rs.105.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards leave travel concession, medical treatment claims and office expenses.

(III) Under Major Head "2810" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''जैव ऊर्जा'' -

(क) ''अनुसंधान और विकास - बायोगैस विकास के लिए सहायता'' - 200.13 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से अनुसंधान और विकास संबंधी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''बायोगैस'' -

(i) ''अकेले अनुप्रयोग के लिए बायोमास गैसीफायर'' - 277.00 लाख रु. की बचत (580.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बायोमास गैसीफायर परियोजनाओं को शुरू करने में विलंब होने की वजह से राज्यों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''बायोमास सहउत्पादन एवं दहन'' - 1666.62 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बायोमास परियोजनाओं को शुरू करने में विलंब होने की वजह से कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) ''ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम'' - 440.72 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''सौर'' -

(क) ''सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम'' -

(i) ''सौर ऊर्जा केंद्र'' - 388.52 लाख रु. की बचत (575.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान एवं विकास की तीन परियोजनाओं को मंजूरी प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''अनुसंधान और विकास'' - 255.27 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संभावित प्रधान अन्वेषकों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Bio-Energy" -

(a) "Research and Development - Assistance for Biogas Development" - saving of Rs.200.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of Research and Development proposals from the implementing agencies.

(b) "Biomass" –

(i) "Biomass Gasifier for Stand Alone Application" – saving of Rs.277.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.580.00 lakhs) was due to non-receipt of suitable proposals from the States owing to delay in the commissioning of biomass gasifier projects.

(ii) "Biomass Co-generation and Combustion" – saving of Rs.1666.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-receipt of reimbursement claims from implementing agencies owing to delay in commissioning of biomass projects.

(iii) "Village Electrification Programme" - saving of Rs.440.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of World Bank Authority.

(B) "Solar" -

(a) "Solar Thermal Energy Programme" –

(i) "Solar Energy Centre" - saving of Rs.388.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.575.00 lakhs) was due to delay in receipt of clearance of three Research and Development projects.

(ii) "Research and Development" - saving of Rs.255.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of suitable proposals from the prospective Principal Investigators.

(iii) "निदर्शन, प्रौद्योगिकी उपयोग और बाजार विकास'' - 4600.51 लाख रु. की बचत (6790.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न शेयर धारकों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और शुरूआती समस्याओं की वजह से बैंक और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(iv) "सौर निष्क्रिय वास्तुशिल्प'' - 295.46 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोडीय अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव और पूरे प्रतिपूर्ति दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(v) "क्षेत्रीय तकनीकी सहायक इकाईयां और प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - 176.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय परीक्षण केंद्रों और भारतीय मानकीकरण ब्यूरो से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "फोटोवोल्टीय'' -

(i) "अनुसंधान और विकास'' - 456.05 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समिति को कार्यक्रम प्रस्तुत करने और उस पर चर्चा करने के लिए परियोजना अन्वेषक उपलब्ध न होने की वजह से समिति से परियोजनाओं को अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "ग्रिड संबद्ध एसपीवी विद्युत परियोजना'' - 1706.75 लाख रु. की बचत (1800.000 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रिड सौर विद्युत उत्पादन के नए निदर्शन कार्यक्रम की घोषणा में विलंब होने के कारण हुई।

(गा) "पवन'' -

(क) "अनुसंधान और विकास - पवन विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को सहायता'' - 395.24 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(iii) "Demonstration, Technology Utilisation and Market Development" - saving of Rs.4600.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6790.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from various stakeholders and delay in signing of Memorandum of Understanding between Banks and Indian Renewable Energy Development Agency owing to initial teething problems.

(iv) "Solar Passive Architecture" - saving of Rs.295.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals and complete reimbursement claims from Nodal Agencies.

(v) "Regional Technical Back-up Units and Training Programme" - saving of Rs.176.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from Regional Test Centres and Bureau of Indian Standards.

(b) "Photovoltaic" -

(i) "Research and Development" - saving of Rs.456.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of projects from the committee owing to non-availability of project investigator to present and discuss the programme with the committee.

(ii) "Grid Connected SPV Power Project" - saving of Rs.1706.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to delay in announcement of a new demonstration programme of grid solar power generation.

(C) "Wind" -

(a) "Research and Development - Assistance to Wind Power Generation Programme" - saving of Rs.395.24 lakhs (against the

तुलना में) पवन ऊर्जा के लिए पहचान किए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पहचान किए गए प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''निदर्शन - पवन विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के लिए सहायता'' - 163.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उन राज्य नोडीय अभिकरणों जहां वाणिज्यिक विकास शुरू नहीं हुआ है, से पवन विद्युत निदर्शन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय - पवन संसाधन निर्धारण'' - 125.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य नोडीय अभिकरणों के पर्याप्त सहयोग से पवन संसाधन निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) ''अन्य'' -

(क) ''शहरी और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा'' -

(i) ''शहरी/नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा'' - 258.18 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं के लिए सरकारी आर्थिक सहायताओं पर स्थगन न हटाए जाने के कारण हुई।

(ii) ''औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा'' - 225.80 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंजाब में औद्योगिक परियोजना चालू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) ''ऊर्जा के अन्य स्रोत'' -

(i) ''ऊर्जा के रासायनिक स्रोत'' - 465.61 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और

sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of the proposals identified for the 11th Five Year Plan for the thrust areas identified for wind energy.

(b) “Demonstration - Assistance to Wind Power Generation Programme” - saving of Rs.163.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for wind power demonstration projects from those State Nodal Agencies where commercial development has not taken place.

(c) “Other Expenditure-Wind Resource Assessment” - saving of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for Wind Resource Assessment with adequate contributions from State Nodal Agencies.

(D) “Others” -

(a) “Energy from Urban and Agricultural Waste” -

(i) “Energy from Urban/Municipal Waste” - saving of Rs.258.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to non-vacation of the stay on Government subsidies for projects on energy recovery from Municipal solid wastes by Hon’ble Supreme Court.

(ii) “Energy from Industrial Waste” - saving of Rs.225.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to delay in commissioning of industrial project in Punjab.

(b) “Other Sources of Energy” –

(i) “Chemical Sources of Energy” - saving of Rs.465.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to

अनुसंधान, विन्यास और विकास परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''हाइड्रोजन ऊर्जा'' - 1000.00 लाख रु. की बचत (1250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के विलंब से प्राप्त होने और विशेषज्ञों के अभिमत प्राप्त करने में समय लगने की वजह से हाइड्रोजन ईंधन चालित तिपहियों, डीजल हाइड्रोजन दोहरे ईंधन वाहन और भाप मिथेन परिरूप आधारित हाइड्रोजन प्रदत्त स्टेशन परियोजनाओं के विकास और निदर्शन के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(iii) ''भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन'' - 240.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास संस्थाओं, उद्योगों, राज्य सरकार के विभाग और नोडीय अभिकरणों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iv) ''भूतल परिवहन के लिए जैव-ईंधन'' - 774.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय जैव ईंधन विकास बोर्ड स्थापित न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान'' - 433.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम - प्रशिक्षण - राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र'' के अंतर्गत 448.35 लाख रु. की बचत (940.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन विभागों से कतिपय स्पष्टीकरणों और सूचना के अभाव में पिछले वर्षों के लेखों का निपटान न किए जाने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

non-receipt of sufficient proposals and non-approval of the proposals by the Research, Design and Development Project Appraisal Committee (RDPAC).

(ii) "Hydrogen Energy" - saving of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1250.00 lakhs) was due to non-materialization of development and demonstration of hydrogen fuelled three wheelers, diesel hydrogen dual fuel vehicle and hydrogen dispensing station projects based on steam methane reformation owing to late receipt of proposals and time taken in obtaining comments of the experts.

(iii) "Alternative Fuel for Surface Transportation" – saving of Rs.240.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-receipt of suitable proposals from the Research and Development Institutions, Industries, State Government Department and Nodal Agencies.

(iv) "Bio-Fuels for Surface Transportation" - saving of Rs.774.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-setting up of National Bio-fuel Development Board.

(c) "Other Expenditure - National Institute of Renewable Energy" - saving of Rs.433.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of Standing Finance Committee for the 11th Five Year Plan.

(IV) Under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes – Integrated Rural Energy Planning Programme – Training - National and Regional Training Centre" - saving of Rs.448.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.940.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-settlement of accounts of the previous years for want of certain clarifications and information from implementing departments.

(V) Under Major Head "3602" - "Grants for Central Plan Schemes – Solar - Photo Voltaic -

(V) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सौर - फोटावोल्टीय - फोटोवोल्टीय'' के अंतर्गत 199.24 लाख रु. की बचत (205.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सौर विद्युत पर एक नए निदर्शन कार्यक्रम की घोषणा में विलंब होने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 184.91 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत और 85 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5122.15 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2810'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''जैव ऊर्जा - बायोगैस विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम - बायोगैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 1499.99 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1490.12 लाख रु. था।

(खा) ''सौर - फोटोवोल्टीय'' -

(क) ''निदर्शन और प्रौद्योगिकी'' - 2841.16 लाख रु.।

(ख) ''एसपीवी पंप कार्यक्रम'' - 275.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 271.76 लाख रु. था।

(गा) ''पवन - निदर्शन - पवन पंप कार्यक्रम के लिए सहायता'' - 240.00 लाख रु.।

(घा) ''अन्य - अन्य व्यय'' -

(क) ''टीआईएफएसी/आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली'' - 66.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 64.10 लाख रु. था।

(ख) ''विशेष क्षेत्रा परियोजना'' - 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 198.99 लाख रु. था।

Photovoltaic" - saving of Rs.199.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.205.00 lakhs) was due to delayed announcement of a new demonstration programme on solar power.

(VI) Under two heads savings of Rs.184.91 lakhs occurred, each exceeding of Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 25 percent and 85 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.5122.15 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each in August, 2007 and March, 2008 under Major Head "2810" - under the following heads:-

(A) "Bio-Energy-National Programme for Biogas Development-National Project on Biogas Development" - Rs.1499.99 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1490.12 lakhs.

(B) "Solar-Photovoltaic" -

(a) "Demonstration and Technology" - Rs.2841.16 lakhs .

(b) "SPV Pump Programme" - Rs.275.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.271.76 lakhs.

(C) "Wind – Demonstration - Assistance to Wind Pump Programme" - Rs.240.00 lakhs.

(D) "Others-Other Expenditure" -

(a) "TIFAC/Data Management Systems" - Rs.66.00 lakhs.Actual excess, however, was Rs.64.10 lakhs.

(b) "Special Area Project" - Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.198.99 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः-

(का) मुख्य शीर्ष ''2810'' - ''अन्य'' -

(क) ''ऊर्जा के अन्य स्त्रोत - लघु जल विद्युत विकास'' - 1994.81 लाख रु. का अधिक व्यय (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम'' - 2618.00 लाख रु. का अधिक व्यय (10820.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''प्रशिक्षण''- 115.02 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जैव-ऊर्जा - बायोगैस विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम - बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना'' - 600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य नोडीय विभागों को प्रतिपूर्ति के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head “2810” – “Others” -

(a) “Other sources of Energy – Small Hydro Power Development” – excess of Rs.1994.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs); and

(b) “Other Expenditure” -

(i) “Village Electrification Programme” - excess of Rs.2618.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10820.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) “Training” - excess of Rs.115.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to additional requirement of funds for training.

(B) Major Head “3601” - “Grants for Central Plan Schemes - Bio-Energy - National Programme for Biogas Development - National Project on Biogas Development” - excess of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for reimbursement to various State Nodal Departments.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''6810'' अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के लिए कर्ज	Major Head “6810” Loans for Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	1400.00	700.00	615.00	–85.00
पु.	R.	–700.00			

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः-

(I) 25.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) ''सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण'' के अंतर्गत 785.00 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.25.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Loans to Public Sector and Other Undertakings – Indian Renewable Energy Development Agency” - saving of Rs.785.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to exchange rate variation.